

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-9) विभाग

प0क:- 1(37)राज-9/भू. रू./2024

जयपुर, दिनांक:- 18-3-25

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

—:परिपत्र:-

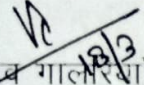
ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात संपरिवर्तन की कार्यवाही करने के संबंध में राजस्व विभाग एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र एवं आदेश जारी किये गये हैं। लेकिन इसके उपरान्त संपरिवर्तन की कार्यवाही किस विभाग द्वारा की जानी है ? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने से काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में भी प्रकरण दर्ज हुए हैं। उक्त कम में इस विभागीय ई पत्रावली संख्या प0 2(100)राज-9/भू.रू./2024 द्वारा नगरीय विकास विभाग से टिप्पणी/राय प्राप्त की गई।

अतः भूमि संपरिवर्तन किस विभाग द्वारा किया जाना है ? इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पूर्व के समस्त आदेशों के आतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की अधिसूचना द्वारा राजस्व ग्रामों को शामिल करने की दिनांक या उसके पश्चात आवेदन किये जाने वाले प्रकरणों में भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत नगरीय निकाय/नगरीय विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा की जावें।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने से पूर्व जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जाकर आंशिक अथवा पूर्ण राशि जमा करवाई जा चुकी है, उनमें अग्रिम कार्यवाही जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के स्तर से राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जावे।
3. ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदन राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को, अधिसूचना से पूर्व किया गया है एवं आंशिक या पूर्ण राशि जमा करा दी गई हो, लेकिन मास्टर प्लान का अन्तिम प्रकाशन हो चुका हो तो उनका संपरिवर्तन नगरीय निकायों नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत किया जावे। ऐसे सम्बन्धित आवेदनों को संबंधित नगरीय निकाय को प्रेषित किया जावे।

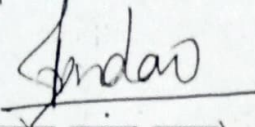
P.T.O.

4. ऐसे प्रकरण जिनमें राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी किये गये हैं लेकिन धारा 6 के तहत मास्टर प्लान का अनुमोदन नहीं हुआ है नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने से पूर्व जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जाकर आंशिक अथवा पूर्ण राशि जमा करवाई जा चुकी है किन्तु नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के उपरांत नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा-3 के तहत आदेश जारी होने के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण निरस्त किया गया है। ऐसे प्रकरणों में जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार उक्त निरस्तीकरण आदेश के संबंध में पुनर्विचार करते हुए उक्त आदेश को प्रत्याहरित कर, प्रकरण को पुनः ओपन करते हुए इस परिपत्र के बिन्दु संख्या-2, 3 एवं संपरिवर्तन नियम, 2007 के तहत ही आवश्यक कार्यवाही की जावे।


(वैभव गालरीशा)

प्रमुख शासन सचिव

नगरयी विकास एवं आवासन विभाग स्वायत्त शासन विभाग

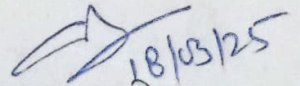

(राजेश कुमार यादव)

प्रमुख शासन सचिव


(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, राजस्व विभाग।
- 2- विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
- 3- विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
- 7- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 8- रक्षित पत्रादली।


शासन उप सचिव